

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनु
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024 / 114
मुकदमा नम्बर 28 / 2024

दर्ज दिनांक - 06.03.2024

सरदार सिंह पुत्र शीशपाल जाति जाट निवासी ग्राम सोटवारा, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनु
-आवेदक

बनाम
राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

-अनावेदक

वकील आवेदक : - श्री संदीप सिंह पूनियां
वकील अनावेदक :- पैरा. राज.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 18.07.2024


प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम सोटवारां पटवार हल्का सोटवारां कि सरहद में भूमि ख.नं. 880/378 रकबा 0.56 है0 के राजस्व रिकार्ड में सरदाराराम की जगह सरदार सिंह दुरुस्त किया जावे।

प्रतिवादी तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रा. पत्र के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कि गई जिसके अनुसार नाम दुरुस्त किया जाना उचित बताया गया।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट क्रमांक /भू.अ./24/1133 दिनांक 05/04/2024 से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सोटवारां पटवार हल्का सोटवारां की सरहद में भूमि ख.नं. 880/378 रकबा 0.56 है0 के राजस्व रिकार्ड में सरदाराराम की जगह सरदार सिंह दुरुस्त किये जाकर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ़ राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 18.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला-झुझुनु